प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 21 फरवरी, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनोद कुमार सिंह पुत्र स्व0 त्रिलोकी नाथ सिंह, निवासी जनपद-बलिया की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-35583/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-30-11-2023) दिनांक-11-12-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनोद कुमार सिंह (बन्दी संख्या-45627) पुत्र स्व0 त्रिलोकी नाथ सिंह, ग्राम-राजपुर, थाना-हल्दी, जनपद-बलिया का निवासी है। बन्दी ने दिनांक-03.07.2001 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर लस्सी में नशीला पदार्थ मिलाकर जर्मन महिला क्लाउडिया पोकर के साथ बारी-बारी से बलात्कार किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटी नं0-65/2002 में भा0द0वि0 की धारा-376(2)(जी) में मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज (आ0 वस्तु0 अधिनियम), वाराणसी के आदेश दिनांक 30-08-2005 द्वारा दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 17-10-2012 द्वारा निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 04.10.2023 तक 20 वर्ष, 09 माह, 09 दिन की अपरिहार सजा तथा 26 वर्ष, 07 माह, 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बलिया द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी की मानसिक सोच अपराधिक प्रवृत्ति की होने व रिहा होने पर अपराध कारित कर सकने, बन्दी की मानसिक सोच अपराधिक प्रवृत्ति की होने व घृणित के जुर्म में कारागार में निरूद्ध है पुन: रिहा होने पर अपराध कारित किये जाने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक दशा अच्छी नहीं होने व आर्थिक स्थिति सामान्य है, जो समयपूर्व रिहाई के लिए उपयुक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक-03.07.2001 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर लस्सी में नशीला पदार्थ मिलाकर जर्मन महिला क्लाउडिया पोकर के साथ बारी-बारी से बलात्कार हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी विनोद

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

कुमार सिंह पुत्र स्व0 त्रिलोकी नाथ सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनोद कुमार सिंह (बन्दी संख्या-45627) पुत्र स्व0 त्रिलोकी नाथ सिंह, निवासी जनपद-बलिया को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-157/2025/4142(1)/22-2-2023 तददिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बलिया।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम, न्यायालय में योजित रिट याचिका (क्रि0) सं0-380/2023 ओमकार व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-06.11.2023 एवं विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) डायरी संख्या- 28783/2023 सुरेन्द्र उर्फ सुण्डा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक-13.11.2024 के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-157/2025/4142/22-2-2023-17(1297)/2022

दिनांक: 21 फरवरी, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनोद कुमार सिंह (बन्दी संख्या-45627) पुत्र स्व0 त्रिलोकी नाथ सिंह, ग्राम-राजपुर, थाना-हल्दी, जनपद-बलिया का निवासी है। बन्दी ने दिनांक-03.07.2001 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर लस्सी में नशीला पदार्थ मिलाकर जर्मन महिला क्लाउडिया पोकर के साथ बारी-बारी से बलात्कार किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटी नं0-65/2002 में भा0द0वि0 की धारा-376(2)(जी) में मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज (आ0 वस्तु0 अधिनियम), वाराणसी के आदेश दिनांक 30-08-2005 द्वारा दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 17-10-2012 द्वारा निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 04.10.2023 तक 20 वर्ष, 09 माह, 09 दिन की अपरिहार सजा तथा 26 वर्ष, 07 माह, 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बलिया द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी की मानसिक सोच अपराधिक प्रवृत्ति की होने व रिहा होने पर अपराध कारित कर सकने, बन्दी की मानसिक सोच अपराधिक प्रवृत्ति की होने व घृणित के जुर्म में कारागार में निरूद्ध है पुन: रिहा होने पर अपराध कारित किये जाने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक दशा अच्छी नहीं होने व आर्थिक स्थिति सामान्य है, जो समयपूर्व रिहाई के लिए उपयुक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक-03.07.2001 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर लस्सी में नशीला पदार्थ मिलाकर जर्मन महिला क्लाउडिया पोकर के साथ बारी-बारी से बलात्कार हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी विनोद कुमार सिंह पुत्र स्व0 त्रिलोकी नाथ सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।